दिनांक–05.04.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

प्रार्थी/रिवीजनकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थनापत्र 26 क मय शपथपत्र 27 ग पर सुना गया।

निस्तारण प्रार्थनापत्र 26 क–

रिवीजनिस्ट की ओर से प्रार्थनापत्र 26 क इस आशय का दिया गया है कि उक्त रिवीजन के रिवीजनिस्ट करन सिंह वरूण का देहान्त दिनांक–12.01.2021 को हो गया है। मृतक ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में अपनी पत्नी व एक पुत्र व दो पुत्रियों को छोड़ा है, जो इस रिवीजन में बतौर रिवीजनिस्ट पक्षकार कायम होना आवश्यक है। उक्त रिवीजन स्वयं अपील की तरह प्रस्तुत हुयी थी, किन्तु राय अदालत में उक्त आदेश के खिलाफ रिवीजन पोषणीय था, मैमोरेण्डम में जहाँ जहाँ शब्द अपील लिखा है वह अपील शब्द काटकर निगरानी लिखा जाना है। अतः तदनुसार प्रार्थी/रिवीजनकर्ता ने रिवीजन में वारिस कायम करने व संशोधन करने की अनुमति प्रदान किये जाने की याचना की है।

विपक्षी की ओर से कोई आपत्ति नहीं दी गयी है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

रिवीजनिस्ट की ओर से संशोधन प्रार्थनापत्र में रिवीजनकर्ता की मृत्यु होने के कारण उसके नाम के आगे मृतक व रिवीजन में रिवीजनकर्ता सं० –1/1 ता 4 एवं रिवीजन की मद सं०–9 के बाद नई मद 9 अ कायम किये जाने की याचना की गयी है। विपक्षी की ओर से कोई आपत्ति नहीं की गयी है, चूँकि उक्त संशोधन से समस्त तथ्य न्यायालय के समक्ष आ सकते है और प्रश्नगत संशोधन से किसी भी पक्षकार को कोई हानि नहीं होती। अतः प्रार्थनापत्र का०सं०–26 क न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 26 क स्वीकार किया जाता है। बांछित संशोधन निगरानीकर्ता द्वारा अविलम्ब किया जाये। पत्रावली वास्ते सुनवाई/बहस दिनांक–19.04.2024 को पेश हो।

अपर जिला न्यायाधीश
न्यायालय संख्या 06, मथुरा